सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 150 राँची, सोमवार, 13 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 मार्च, 2023

संख्या-11/क०च०आ०-16-08/2013 का.- 1430--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 यथासंशोधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023"** कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 (यथासंशोधित 2022) के नियम-2-पात्रता/अहर्त्ता में निम्नांकित प्रावधान हैं:-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- "अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की **अनुसूची-1** के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।

अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की **अनुसूची-2** में अंकित पदो के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।"

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

"अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।";

अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।" ;

3. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 (यथा संशोधित 2022) के शेष नियम यथावत् रहेंगे।**

4. **विभागीय संलेख ज्ञापांक 1128 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023" के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 02.03.2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या 19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।